(ग) भारत बंगलादेश सीमा पर जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इन कदमों में शामिल है :—सीमा चौकियों के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि, सघन गश्त, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ओ.पी. टावर खड़े करना और तटवर्ती क्षेत्रों मे बेहतर निगरानी तथा गश्त के लिए नाइट विजन डिवाइसिस, दूरबीन आदि की आपूर्ति करना।

राजभाषा संबंधी संसदीय-समिति की सिफारिशें

1794. **श्री सोमपाल :**
श्री सुरेश पचौरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जा रही अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने के संबंध में कोई सिफारिशें की है; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और मंत्रालय उस पर कब तक अनुकूल कार्रवाई करने का विचार रखता है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड 3 और 4 में संघ सरकार की सेवाओं/पदों पर भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान के विकल्प के संबंध मे सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1960 के परिप्रेक्ष्य मे की गई है। उक्त संकल्प में संघ सरकार की सेवाओं/पदों पर भर्ती के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता: अपेक्षा करने तथा अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाना है। उक्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पुलिस की दो नई वाहिनियों का गठन करने के लिये अनुदान

1795. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दो नई वाहिनियो के गठन के लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ अब तक कोई राशि न दिए जाने के क्या कारण हैं और उक्त राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी और

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि मध्य प्रदेश की वाहिनियों को अपने खर्चे पर अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात किया जाए और यदि नहीं तो सरकार द्वारा अपने निदेश पर राज्य को वाहिनियों की तैनाती पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति न करने के क्या कारण हैं ?